

फा. सं.ए- 33-1/2019-टीएस-1 (मार्च)

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

तकनीकी शिक्षा ब्यूरो

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 19 मार्च, 2019

सेवा में,

श्री चन्दन कुमार सिंह,
गाव चाडील स्टेशन बस्ती,
पोस्ट तनकोचा थाना नीमडीह,
जिला सरायकेला खरसवा,
झारखंड, पिन-832401

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन
महोदय,

मुझे इस मंत्रालय के तकनीकी समन्वय अनुभाग से पंजीकरण स. डीओएचईडी/आर/2019/80282 दिनांक 07.03.2019 के अंतर्गत आरटीआई आवेदन का संदर्भ ले जो इस प्रभाग में दिनांक 19.03.2019 को प्राप्त हुआ।

2. मांगी गई सूचना अधोहस्ताक्षरी के पास नहीं है क्योंकि यह मामला राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए), के अधिकार क्षेत्र में आता है। अंतः आपका आरटीआई आवेदन आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत सीपीआईओ/पीआईओ, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को आपेक्षित सूचना सीधे भेजने के लिए अंतरित किया जा रहा है।

3. यदि इस उत्तर के संबंध में कोई अपील हो तो उसे इस उत्तर की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर श्री प्रशान्त अग्रवाल, निदेशक (आईआईटी), उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है, जो प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं।

संलग्न

भवदीय



(कुंदन नाथ)

अवर सचिव एवं सीपीआईओ

प्रतिलिपि:-

- (i) सीपीआईओ/पीआईओ, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए), सी-20, 1ए/8, सैक्टर-62, आईआईटीके आउटरिच सेंटर, नोएडा-201309